उत्तर प्रदेश शासन
उद्यान अनुभाग
संख्या-42/2016-1723/58-2016-130/2016
लखनऊः दिनांकः 08 जून 2016

<u>शुद्धि पत्र</u>

अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संचालित उद्यान शाखा की पान प्रयोग प्रशिक्षण केन्द्र, महोबा योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-36/2016-1299/58-2016-130/2016, दिनांक 10.05.2016 के प्रस्तर-1 में बनी तालिका के लेखाशीर्षक में लिपिकीय त्रुटिवश 08-पान प्रयोग प्रशिक्षण केन्द्र, महोबा के स्थान पर 05-पान प्रयोग प्रशिक्षण केन्द्र, महोबा अंकित हो गया है। कृपया उक्त 05-पान प्रयोग प्रशिक्षण केन्द्र, महोबा के स्थान पर 08-पान प्रयोग प्रशिक्षण केन्द्र, महोबा पढ़ा जाय।

इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश दिनांक 10.05.2016 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-10 की दूसरी पंक्ति के लेखाशीर्षक **में लिपिकीय त्रुटिवश** 08-पान प्रयोग प्रशिक्षण केन्द्र, महोबा **के स्थान पर** 05-पान प्रयोग प्रशिक्षण केन्द्र, महोबा **अंकित हो गया है। कृपया उक्त** 05-पान प्रयोग प्रशिक्षण केन्द्र, महोबा **के स्थान पर** 08-पान प्रयोग प्रशिक्षण केन्द्र, महोबा **पढ़ा जाय।**

उक्त शासनादेश **संख्या-36/2016-1299/58-2016-130/2016**, **दिनांक 10.05.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष यथावत रहेगा।**

भवदीय,

(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)
अनु सचिव।

<u>संख्या-42/2016-1723(1)/58-2016, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) कोषाधिकारी, महोबा।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in